

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै/(एफ-1602)/2023/ 550

दिनांक : 29/08/2023

आदेश

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.1(2) वित्त/नियम/2006-प्रथम दिनांक 08.08.2019, 25.10.2019 एवं 06.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक रेडियोग्राफर कार्मिक (परिवीक्षाधीन) का परिविक्षा काल में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	अवकाश का प्रकार
1	श्री मनीष कुमार मीणा, सहायक रेडियोग्राफर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुंगा बस्सी, जयपुर।	दिनांक 04.11.2021 से 11.11.2021 तक स्वयं की बिमारी के कारण चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के आधार पर 08 दिवस का असाधारण अवकाश

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज., जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टै/(एफ-1602)/2023/ 550

दिनांक : 29/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी तुंगा बस्सी, जयपुर।
3. श्री मनीष कुमार मीणा, सहायक रेडियोग्राफर (परिवीक्षाधीन) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज., जयपुर